D.F.A. पंजीकृत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग-ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)
Office of the Executive Engineer, C.D, P.W.D. Ukhimath

उत्तराखण्ड शासन

E-Mail: ukhimathpwd@yahoo.in **Phone & Fax:- 01364-284239**

पत्रांक 4361 / 13 लो. **Date** 05 / 09 / 2021

सेवा में,

उपवन सरंक्षक
केदारनाथ, वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः- जनपद– रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 हे॰ वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/39084/2019)

सन्दर्भः- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं. 8बी॰/यू॰सी॰पी॰/6/179/2020/एफ॰सी॰/98 दिनांक 22–04–2021।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित हैः–

शर्त संख्या 1:– वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

शर्त संख्या 2:– परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि सौपे जाने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

शर्त संख्या 3:– प्रतिपूरक वनीकरण–

(क) वन विभाग द्वारा अनुपालन किया जाना है।

(ख) जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के आदेश सं॰ 5020/छब्बीस–/2020–21 दिनांक 23–07–2021 द्वारा 4.500 हे॰ ग्राम–न्यालसू (रामपुर) खसरा संख्या 822, 823 में सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। **(आदेश की प्रति व खतौनी की नकल सलंग्न है)**।

(ग) वन विभाग द्वारा अनुपालन किया जाना हैं।

शर्त संख्या 4:– प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वनविभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।

शर्त संख्या 5:– शुद्व वर्तमान मूल्य–

(क) एन॰पी॰वी॰ के धनराशि मूल्य रु 22350618.00 का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। **(NEFT/RTGS प्राप्ति रसीद दिनांक 13–09–2021 सलंग्न हैं)**

(ख) एन॰पी॰वी॰ के दरों में बढोत्तरी से सम्बन्धित बचनवद्वत्ता प्रमाण–पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ सं॰ 85 में संलग्न हैं **(पुनः सत्यापित छायाप्रति सलंग्न कर प्रेषित है।)**

शर्त संख्या 6:– खण्ड द्वारा समरेंखण चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है की मोटर मार्ग निर्माण में न्यूनतम वृक्षों का पातन हो एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 286 Trees का वन विभाग द्वारा छपान के पश्चात वन निगम से कटान ऑफरोड ढुलान हेतु प्राप्त डिमाण्ड नोट के अनुसार धनराशि जमा कर दी जायेगी।

शर्त संख्या 7:–Animal Passage as approved by the Standing Committee of NBWL will be Constructed by user agency under supervision of forest Department.

शर्त संख्या 8:– Wildlife Mitigation Plan may be undertaken under working plan for NPV fund of CAMPA.

शर्त संख्या 9:– खण्ड द्वारा पूर्ण भुगतान ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in) के माध्यम से जमा किया गया है। **(आर्नलाईन प्रति रसीद सलंग्न है)**

शर्त संख्या 10:–खण्ड द्वारा गाइडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार उल्लेखित कार्यो के अलावा कोई और गतिविधि नही की जायेगी।

शर्त संख्या 11:– खण्ड द्वारा एफ़॰आर॰ए॰ 2006 का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

शर्त संख्या 12:– खण्ड द्वारा आई॰आर॰सी॰ मानदण्डों के अनुसार सडक के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाई जायेगी।

शर्त संख्या 13:– खण्ड द्वारा वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गतिविनियमन साइनेज लगाऐ जायेगें।

शर्त संख्या 14:– लागू नही है।

शर्त संख्या 15:– केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना खण्ड द्वारा प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा।

शर्त संख्या 16:– खण्ड द्वारा मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान वनभूमि में कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।

शर्त संख्या 17:–प्रयोजना में कार्यरत श्रमिकों को वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोतो से प्रर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईधन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा दिया जायेगा।

शर्त संख्या 18:–प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार खण्ड द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।

शर्त संख्या 19:–खण्ड द्वारा परियोजना के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।

शर्त संख्या 20:–वनभूमि का उपयोग खण्ड द्वारा परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के, अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।

शर्त संख्या 21:–केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना खण्ड द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य ऐजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही किया जायेगा।

शर्त संख्या 22:–उपरोक्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तो का खण्ड द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।

शर्त संख्या 23:–पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के सरंक्षण व विकास के हित में समय–समय पर लागू होने वाली निर्धारित शर्त्तो का खण्ड द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

शर्त संख्या 24:–खण्ड द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर मलवे का निस्तारण प्रस्ताव में सलंग्न Muck Disposal Plan के अनुसार ही किया जायेगा तथा निस्तारण स्थलों को वनविभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा एवं मलवा निस्तारण स्थलों में वृक्षों का पातन नही किया जायेगा।

शर्त संख्या 25:–यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायलय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना खण्ड की जिम्मेदारी होगी।

शर्त संख्या 26:–खण्ड द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in) पर आर्नलाईन अपलोड की जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विषय वर्णित प्रकरण पर विधिवत् स्वीकृति हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार तीन–तीन प्रतियों में ।

भवदीय,

25/09/2021

(इं॰ मनोज कुमार भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़ लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

a/c

25.7.2021

पत्रांक 4361 **/13 C** **Date** 05 **/ 09 /2021**

प्रतिलिपिः-① जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।
② उपवन सरंक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग

प्रतिलिपिः- उपजिलाधिकरी को इस आशय से प्रेषित कि सयुंक्त निरिक्षण की तिथि निर्धारित होने के उपरान्त सम्बन्धित रा.उ.नि. को सयुंक्त निरीक्षण में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो.नि.वि. ऊखीमठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- श्री पवन कुमार कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड लो.नि.वि. ऊखीमठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- खण्डीय अमीन निर्माण खण्ड लो.नि.वि. ऊखीमठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग के पत्रांक- 24/13C दिनांक 28-05-2021 के अनुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उ0मध्य क्षेत्र), देहरादून के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या- 3 (क) के अनुपालन में चयनित सिविल सोयम भूमि ग्राम न्यालसू के खसरा संख्या- 822, 823 में 9.00 है0 भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम म्यूटेशन/ नामान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उप जिलाधिकारी ऊखीमठ द्वारा तहसीलदार ऊखीमठ के पत्र संख्या- 100/र0का0-क्षति0वृ0/(2020-21) दिनांक 22 जून, 2021 को अग्रसारित करते हुये अवगत कराया गया है कि राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है0 वनभूमि के सापेक्ष, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम न्यालसू (रामपुर) में चयनित 9.000 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के नाम म्यूटेशन किया जाना है। उक्त चयनित भूमि ग्राम न्यालसू के ज0वि0र0- श्रेणी 9(ख)(2)- अन्य प्रकार के जंगल झाड़ियां व लम्बी घास की भूमि की श्रेणी में खतौनी खाता संख्या- 26 के खसरा संख्या 822 रकवा 5.437 है0 मध्ये सम्पूर्ण रकवा 5.437 है0 तथा खसरा संख्या- 823 रकवा 3.794 है0 मध्ये 3.563 है0 कुल 9.000 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है।

अतः शासनादेश संख्या- 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये, तहसीलदार/ उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र फाटा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम न्यालसू के खतौनी खाता संख्या- 26 के खसरा संख्या 822 रकवा 5.437 है0 मध्ये सम्पूर्ण रकवा 5.437 है0 तथा खसरा संख्या- 823 रकवा 3.794 है0 मध्ये 3.563 है0 कुल 9.000 है0 चयनित भूमि को उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/ नामान्तरित एवं अमलदरामद करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दिनांक-22-07-2021

ह0/-
(मनुज गोयल)
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

1– पंजिका क्रमांक 951
2– पत्राक... क्रमांक 3
3– दिनांक 27.07.2021
हस्ताक्षर

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– /छब्बीस– /2020–21/ दिनांक: रूद्रप्रयाग: जुलाई, 2021

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– सचिव, राजस्व विभाग अनुभाग–02 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–04 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– आयुक्त, गढवाल मण्डल पौड़ी।

6– उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

7– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार ऊखीमठ को नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र खतौनी की नकल वन विभाग एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

8– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, ऊखीमठ।

अपर, जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।

Ameen

27.07.2021

E.E.
26.7.2021

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- mocf.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST
&
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE,
DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- mocf.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/179/2020/एफ.सी./98 दिनांक: 2- /04/2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अंतर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/ROAD/39084/2019)

सन्दर्भः– अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–1847/X-3-20/1(201)/2020 दिनांक 04.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.04.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार- जनपद – रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अंतर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.00 हे0 सिविल सोयम भूमि न्याल्सू (रामपुर), खसरा संख्या 822,823 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में I.A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.500 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित ... प्रस्ताव के अनुसार 286 trees से अधिक नहीं होगी एवं यह राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण ... अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के द्वारा पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
7. Animal passage as approved by the standing committee of NBWL will be constructed ... under supervision of forest department.
8. Wildlife mitigation plan may be undertaken under working plan from NPV fund of CAMPA ...
9. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https: parivesh-nic-in) ... क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।
10. गाईडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देश के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार सैद्धांतिक स्वीकृति ... कटान अथवा कार्य आरंभ करने के लिए जारित किए गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को ... राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की ... की दिनांक से एक वर्ष की समावधि तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कार्य और गतिविधि नहीं ...
11. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से ... जाएगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
13. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
14. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति ... हो प्राप्त करेगा।
15. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
16. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन ... अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
18. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर ... सीमांकन किया जाएगा।
19. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई भी नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
20. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु ... जाएगा।
21. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी ... एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
22. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण ... जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ... कार्रवाई होगी।
23. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में ... पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
24. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप ... से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण ... उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया ... मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंप ... इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण ... वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
25. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर ... है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।
26. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https: parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1. ... वन महानिदेशक ... दिल्ली।
2. ... वन संरक्षक ... पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ...
... प्रशासनिक ... आवास ...

(...)
तकनीकी ...

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-08-2021

Agency Name.	EECDPWDUKM
Application No.	6139084895
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/179/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, PWD UKHIMATH, RUDRAPRAYAGRudraprayag
Amount(in Rs)	22350618/-

Amount in Words: Two Crore Twenty-Three Lakh Fifty Thousand Six Hundred and Eighteen Rupees Only

भारतीय स्टेट बैंक ... 13 SEP 2021 PARVESH KUMAR MAKER CHECKER

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896139084895 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may ...
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challa... even after 7 working days, then kindly mail a copy of ...
Email: cb0371@unionbankofindia.com

Executive Engineer
Const.Div. P.W.D.
Ukhimath (Rudraprayag)

STATE BANK ... UKHIMATH ... 13 SEP 2021

SBIN R52021091341697392